

दिव्यांगजनों के लिये सुगम्यता

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने पुष्टि की कि **दिव्यांगजनों (PWD)** के लिये पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच का अधिकार एक मानवीय और **मौलिक अधिकार** है।

- **पहुँच:** न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह **दिव्यांगजन** अधिकार नियम, 2017 के **नियम 15** के तहत सार्वभौमिक पहुँच वाले सार्वजनिक और नजीक स्थानों, सेवाओं तथा उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करें।
 - **दिव्यांगजन** अधिकार नियम, 2017 के **नियम 15** में **भौतिक वातावरण, परिवहन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** की पहुँच को शामिल किया गया है।
- **कानूनी ढाँचा:** **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का उद्देश्य दिव्यांगजनों (PWD) के अधिकारों की **रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना** है।
 - इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों पर **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाना है, जैसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था।
 - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें **दृष्टि दिव्यांगता का कम-से-कम 40% हिस्सा** हो।
- दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित पहल: **सहायक उपकरण खरीदने/लगाने के लिये दिव्यांगजनों को सहायता, सुगम्य भारत अभियान** और **वशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल**।

और पढ़ें: **दिव्यांगजनों के लिये सुगम्यता बढ़ाना**